04/07/22 पत्रावली पेश। पैरोकार उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादग्रस्त भूमि तहसील घड़साना के चक 22AS-A के प.नं. 144/2 मु.नं. 36 के किला नं. 18 ता 25 की 2.024 हैक्टेयर एवं प.नं. 144/4 मु.नं. 46 के किला नं. 6 ता 8, 11 ता 13, 15 की कुल 1.771 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का नाम अमरजीत सिंह दर्ज है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में नाम चरण सिंह दर्ज है। इसलिए उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के वादी का नाम अमरजीत सिंह की जगह चरण सिंह दर्ज करने का निवेदन किया। स्टेट की ओर से तहसीलदार घड़साना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित

क्र

है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में जीतसिंह पुत्र जागरसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जीतसिंह के फौत होने पर नामांतरण विरासतन द्वारा महेन्द्र कौर वगैरह के नाम दर्ज हुई। जो बदस्तूर आदिनांक तक दर्ज चली आ रही है। स्टेट ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। वादी वकील ने साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं का, सह काश्तकारों, जसवन्त सिंह, मलकीत सिंह, महेन्द्र कौर का एवं वार्ड पंच अनिल कुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादी का वास्तविक नाम चरणसिंह ही है, विरासतन नामांतरण में सहवन से अमरजीत सिंह दर्ज होना प्रतीत होता है। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील घड़साना के चक 22AS-A के प.नं. 144/2 मु.नं. 36 के किला नं. 18 ता 25 की 2.024 हैक्टेयर एवं प.नं. 144/4 मु.नं. 46 के किला नं. 6 ता 8, 11 ता 13, 15 की 1.771 हैक्टेयर इस

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार कुल 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा मे राजस्व रिकॉर्ड में ~~[illegible]~~ अमरजीत सिंह पुत्र जीतसिंह के स्थान पर दुरूस्त करते हुए चरण सिंह पुत्र जीतसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	